न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

(श्याम लाल गुर्जर, आई.ए.एस. जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या 12/2018

दायर दिनांक : 13.07.2018

आदेश दिनांक : 28.08.2018

अनवान

सोहनलाल पिता लालुराम भट्ट, निवासी लाल मादड़ी, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा

.....रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 406 स्वीकृत दिनांक 16.07.1987 पारित द्वारा तहसीलदार, नाथद्वारा से व्यथित होकर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1 श्री ख्यालीलाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी

2. श्री कैलाश बोल्या, पैरोकार सरकार

यह नामान्तरण अपील तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 406 दिनांक 16.07.1987 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11.07.2018 को प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लाल मादड़ी, पटवार हल्का लाल मादड़ी, तहसील नाथद्वारा में स्थित आराजी नम्बर 714 व 716 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 5 बिश्वा भूमि के संबंध में न्यायालय के निर्णय एवं डिकी की पालना में खोले गये त्रुटिपूर्ण नामान्तरण की अपील प्रस्तुत की है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरण की जानकारी दिनांक 04 जुलाई, 2018 को हुई, जब अपीलार्थी अपने खाते की नकल लेने गया तो पता चला कि आराजी नम्बर 714 रकबा 12 बिश्वा के बजाय 07 बिश्वा भूमि ही अपीलार्थी के नाम पर दर्ज हुई है। उक्त दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त करते ही कानूनी राय लेकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी दिनांक 16.07.1987 से दिनांक 11.07.2018 की अवधि को माफ किया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा अपना शपथपत्र पेश किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को मौखिक बहस में निवेदन करते हुए कहा कि राजस्व ग्राम लाल मादड़ी में स्थित भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में खोला गया नामान्तरण त्रुटिपूर्ण हैं आराजी नम्बर 714 रकबा 12 बिश्वा भूमि का नामान्तरण त्रुटि से 7 बिश्वा का रकबा ही दर्ज कर दिया हैं। अपीलार्थी वृद्ध है और उक्त जमीन की नकल लेने के लिये पटवारी से मिला तो नकल मिलने पर ज्ञात हुआ कि उक्त नामान्तरण गलत रूप से स्वीकृत किया गया है। अपने तर्क के समर्थन में आर.आर.टी. 2002 पेज 648, आर.आर. टी. 2004 पेज 374 एवं आर.आर.टी. 2008 पेज 1406 प्रस्तुत कर अपील मंजूर करने एवं मियाद माफ करने का निवेदन करते हुए माफिक डिक्री नामान्तरण पारित करने के लिये निवेदन किया है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरण नियमानुसार है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। यह भी निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण सन् 1987 में स्वीकृत किया गया है जिसकी अपील इस न्यायालय में 31 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपील 31 वर्ष बाद पेश करने का कोई उचित आधार व कारण नहीं बताया गया है। अपीलार्थी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। डिले का आधार जमाबंदी की नकल प्राप्त करना बताया है लेकिन जमाबंदी की वर्तमान नकल इस अपील के साथ पेश ही नहीं की है जिससे ही यह प्रमाणित होता है कि वह पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने गया ही नहीं है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति भी अपीलार्थी द्वारा नहीं बतायी गई है । उक्त भूमि किसके नाम पर वर्तमानमें दर्ज है, उसका खुलासा भी अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है न ही उसे पक्षकार बनाया गया हैं। 31 वर्ष की देरी को केवल इस आधार पर माफ नहीं किया जा सकता कि उसे पटवारी से नकल प्राप्त होने पर उसे इसकी जानकारी हुई हो जबकि वह न्यायालय में इस भूमि से संबंधित प्रकरण को 5 वर्ष तक लड़ा है और उसके बाद न्यायालय का निर्णय हुआ है जिसकी पालना स्वयं अपीलार्थी द्वारा करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त देरी को माफ नहीं किया जा सकता। अपील भी आधारहीन है,इसलिये खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन् विचार किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 407 दिनांक: 16.07.1987 के अवलोकन से यह नामान्तरण राजस्व ग्राम लाल मादड़ी में स्थित कृषि भूमि के सम्बंध में स्वीकृत किया गया हैं। जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलार्थी द्वारा 31 वर्ष बाद इस न्यायालय में पेश की है जिसमें आधार पटवारी से जमाबंदी की नकल एवं राजस्व रेकर्ड प्राप्त करना बताया है जबकि पटवारी से प्राप्त जमाबंदी की वर्तमान नकल इस न्यायालय में पेश ही नहीं की गई है। 31 वर्ष की देरी का कोई पर्याप्त एवं उचित

कारण भी अपीलार्थी द्वारा नहीं बताया है। उक्त देरी को माफ किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश किया जाना पाया जाता है इसलिये उक्त अपील देरी के आधार पर ही खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 28.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमन्द